प्रस्तावित जी.एस.टी. पर संगोष्ठी

. **प्रेस विज्ञप्ति** 26.01.2015

आज मर्चेंट्स चैम्बर में आयोजित सेमीनार में जी.एस.टी. की वर्तमान स्थिति और भावी क़ानूनी व्यवस्था के संधर्भ में गहन विचार-विमर्श हुआ।

डॉ. इन्द्र मोहन रोहतगी, अध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा कि यह संस्था सदैव उद्योग व व्यापार जगत की हितों के लिए प्रतिबद्ध मंच है । विषय का प्रवर्तन करते हुए श्री राहुल अग्रवाल, अधिवक्ता, एलहाबाद,हाई-कोर्ट, ने यह आशा व्यक्त कि यह यूरोपियन-यूनियन में जी.एस.टी. की जो व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है वह भारत में परिवर्तन के साथ लागू हो जाये तो सबको लाभ मिलेगा ।

वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री भरत जी अग्रवाल, ने अपने प्रमुख भाषण में यह बताया की संविधान के १२२ वे संशोधन बिल में जो लोक सभा में प्रस्तावित है की एक जी.एस.टी.काउंसिल बनाया जाए जिसमें केंद्र सरकार का वोटिंग-वैटेज १/३ व राज्य सरकार का भी वोटिंग अधिकार होगा ।

उन्होंने बताया की संविधान के 7वे शेडयूल को संशोधित कर जी.एस.टी. लाया जाना प्रस्तावित है जिसका नियम केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रथक-प्रथक बनाया जाएगा । यह भी बताया कि केन्द्रीय एवं प्रांतीय जी.एस.टी.प्रथक-प्रथक होगा । राज्य द्वारा प्रवेश कर लगाने का अधिकार बिल पास होने पर समाप्त हो जायेगा औ यह आशा व्यक्त की कि व्यापारियों व उद्यमियो को इस प्रक्रिया से राहत मिलेगी ।

कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन श्री बी.के.लाहोटी जी ने किया ।

वताओ के विचारों का सन्छेपीकरण करते हुए श्री नरेन्द्र शर्मा जी, अधिवक्ता, चेयरमैन, ट्रेड-कमिटी, एम.सी.यू.पी., ने सभी का धन्यवाद किया । उन्होंने प्रस्ताव किया की ऐसा कार्य-दल बने जो की निरंतर इस कानून या अन्य किसी कानून के सम्बन्ध में मन्त्रणा कर सम्बंधित विभाग या सरकार के समछ अपना पछ मजबूती से रखे । ऐसे कार्य को श्री भरत जी ने पूर्ण सहयोग करने का आशवाशन दिया ।

श्री दीपक कपूर, ने वक्ताओं और सभी प्रतिभागियों को`सेमीनार की सफलता के लिए धन्यवाद दिया ।

इस संगोष्ठी में उपरोक्त के अतिरिक्त श्री अनिल साहू, अध्यक्ष, के.सी.ए.एस, श्री दिनेश प्रकाश, अध्यक्ष, टैक्स बार एसोसिएशन, श्री पियूष अग्रवाल, अध्यक्ष, सी.आई.आर.सी., श्री दीपक कपूर, अध्यछ, के.आई.टी.बी.ए, सचिव श्री ए.के.सिन्हा, एम.सी.यू.पी., मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश और उपरोक्त सभी संस्थाओं के सदस्य उपस्थित थे ।

धन्यवाद